राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 74/2013

श्रीमती किरण देवी पत्नी स्व. श्री चोरूलाल गहलोत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र बीकानेर।
3. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त बीकानेर।
4. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उ.वि. राजस्व खण्ड द्वितीय, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2013
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रतिनिधि को रिकार्ड पर लेने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी एवं शामिल मिसल कर उसे रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2012 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि यदि अपीलार्थी से कोई वसूली की गई है तो उसे मय ब्याज सहित वापिस लौटाई जावे तथा अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली न की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 15.01.1979 को बेलदार के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 12.08.1983 के द्वारा पम्प चालक तृतीय के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 06.06.2012 को जारी आदेश दिनांक 12.08.1983 के द्वारा कार्यरत

नियमित पम्प चालक तृतीय के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए थे, परंतु कर्मचारियों को पम्प चालक तृतीय के पद पर पदोन्नति मानते हुए सेवा पुस्तिकाओं में पदोन्नति का गलत अंकन करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी को पम्प चालक तृतीय पद पर दिनांक 12.08.1983 को पुनः नियुक्ति मानते हुए दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया गया, का रिवाईज्ड वेतन फिक्सेशन कर लाभ दे दिया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2012 जारी कर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 06.06.2012 निरस्त किए जाते हैं तथा अपीलार्थी का पुनः वेतन संशोधित करते हुए तुरंत अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। इस प्रकार उक्त आलोच्य आदेश नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2012 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि यदि अपीलार्थी से कोई वसूली की गई है तो उसे मय ब्याज सहित वापिस लौटाई जावे तथा अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली न की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि पम्प चालक तृतीय के कुल रिक्त पदों पर 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा पद भरने का प्रावधान है तथा 75 प्रतिशत पद सहायक से पदोन्नति प्रदान कर भरे जाते हैं। अपीलार्थी को पम्प चालक तृतीय के पद की वर्ष 1980 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया था और अगस्त, 1983 से स्थायीकरण किए गए। पदोन्नति आदेश का विवरण अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में दर्ज है। आदेश दिनांक 06.06.2012 के पत्र को निरस्त करते हुए सभी कार्मिकों को वेतन संशोधन करवाते हुए वसूली की कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किए गए, जो नियमानुसार सही एवं उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 15.01.1979 को बेलदार के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 12.08.1983 के द्वारा पम्प चालक तृतीय के पद पर पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 06.06.2012 को जारी आदेश दिनांक 12.08.1983 के द्वारा कार्यरत

नियमित पम्प चालक तृतीय के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। अपीलार्थी को पम्प चालक तृतीय पद पर दिनांक 12.08.1983 को पुनः नियुक्ति मानते हुए दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया गया, का रिवाईज्ड वेतन फिक्सेशन कर लाभ दे दिया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2012 जारी कर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 06.06.2012 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का पुनः वेतन संशोधित कर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। जहां तक आदेश दिनांक 21.12.2012 के द्वारा अपीलार्थी को की गई अधिक भुगतान की वसूली किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.08.1983 के द्वारा सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जिसमें लगभग 20 वर्ष बाद अपीलार्थी से विभाग द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया, जो हमारे मत में नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

- ***(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).***
- ***(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.***
- ***(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***
- ***(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***
- ***(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an***

extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2012 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली की गई है तो उसे नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए वापिस लौटाई जावे। अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2013 की पुष्टि (confirm) की जाती है। अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य